

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (फूल) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो।

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन..... अगली बेतनवृद्धि की तरीख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	उत्तरालाइट के नाम पर न हो तो यदि स्वाम के नाम पर न हो तो उसे किस प्रकार अंजित किया गया	**"खोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीछ और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम गण व्यापा	संपत्ति से वार्षिक आय	आप्यवृक्ष
								संपत्ति का नाम तथा व्यापा	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य

* वहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे शामले में जहाँ पूर्ण का छह-सहो निधारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रिस्ट्रिटि के सदर्भ में लागा मूल्य लालाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्पत्तित हैं।

टिप्पणी : मध्यसंस्कृत शब्दकोष सेवक (आचारण) विषय, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम क्रेणी, द्वितीय क्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में एहतीन वर्षों की अवधि के पश्चात यह शोला-पत्र भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके ल्लामत्व की तथा उसके द्वारा अंजित अवधा उसे विरासत में फिली या उसके अपने नाम पर या उसके पारिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ल्लाये दे।